



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2017/फाल्गुन 19, 1938

No. 715]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2017/PHALGUNA 19, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2017

**का.आ. 795(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-7 के हैदराबाद - बेंगलुरु खंड के किमी 9.4 से किमी 22.300 तक को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने से संबंधित अभी तक के सभी पूर्ववर्ती आदेशों/अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने हेतु बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

“उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 1 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“1	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, (नई रारा सं. 69 चित्तूर से कर्नाटक सीमा और नई रारा सं. 40 चित्तूर से तमिलनाडु सीमा), सं. 5, {किमी 0.000 से किमी 3.400 (विजयवाडा - विशाखापट्टनम खंड)}, सं. 9 {किमी 265.000 से किमी 266.400 (नई रारा सं. 65 किमी 270.340 से किमी 271.740) (एच-वी खंड)}, सं. 18 (नई रारा सं. 40 कडप्पा से चित्तूर), सं. 18ए, (नई रारा सं. 140 पुथलापट्टू से तिरुपति किमी 41.70 से किमी 58.85 तक खंड को छोड़कर), सं. 43, (नई रारा सं. 26 ओडिशा सीमा से	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार।

नटवालसा), नया रारा-67 {किमी 589.00 से किमी 741.950 तक (मायदुकुर – दोरनाला टी-जंक्शन – आत्माकुर - नेल्लौर खंड) को छोड़कर}, नई रारा सं. 42, (कर्नाटक/आ. प्र. सीमा से अनंतपुराम्), सं. 205 (नई रारा सं. 42 अनंतपुर – मदनापल्ली और नई रारा सं. 71 मदनापल्ली - रेनूगुंटा), सं. 214 (नई रारा सं. 165 पमारू से दिगामारू और नई रारा सं. 216 दिगामारू से काथीपुडी), सं. 214ए (नई रारा सं. 216 दिगामारू से ओंगोल), सं. 219 (नई रारा सं. 42 मदनापल्ली से तमिलनाडु सीमा), सं. 221 [किमी 32.735 से किमी 71.200 तक (चंद्रागुंडेम - आ. प्र./तेलंगाना सीमा खंड) को छोड़कर], (नई रारा सं. 30 छत्तीसगढ़/आ. प्र. सीमा से आ. प्र./तेलंगाना सीमा और तेलंगाना सीमा से विजयवाड़ा), सं. 234 (नई रारा सं. 75 कर्नाटक सीमा से तमिलनाडु सीमा), नई रारा सं. 71 [रेनूगुंटा से नायदुपेटा (नई रारा सं. 16)], नई रारा सं. 167 (कर्नाटक/आ. प्र. सीमा से आ. प्र./कर्नाटक सीमा), नई रारा सं. 326 (ओडिशा सीमा से चित्तूरु), नई रारा सं. 326ए, [ओडिशा सीमा से नरसन्नापेट (नई रारा सं. 16 पर)], नई रारा सं. 340 [रायचोटी (नई रारा सं. 40) से करबलाकोटा (नई रारा सं.-42)], नई रारा सं. 340सी (रारा-765 पर कुरनूल से दोरनाला), नई रारा सं. 516डी, नई रारा सं. 544डी (नया रारा-565 पर टोकापल्ली से होकर रारा-44 पर अनंतपुराम् से रारा-16 पर गुंदुर तक), नई रारा सं. 565 [किमी 86.057 से किमी 133.922 तक और किमी 154.900 से किमी 361.327 तक (नागार्जुनसागर डैम – दाउलापल्ली - मरकापुरम - वगमपल्ली - दोरनाला टी-जंक्शन खंड तक छोड़कर) और किमी 425.400 से किमी 509.400 (पेंचलकोना - येरपेडू खंड) को छोड़कर], नई रारा सं. 716 और नई रारा सं. 765 [तेलंगाना सीमा से टोकापल्ली (नई रारा सं.-565) के उतने भाग जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/8/2016-पी एण्डएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एण्ड एम)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 28(अ), दिनांकित 5 जनवरी, 2017 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2017

**S.O. 795(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession to all earlier Orders/Notifications so far as relating to the entrustment of km. 9.4 to km. 22.300 of Hyderabad-Bangaluru section of NH 7 in the State of Andhra Pradesh to NHAI, the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"1	So much of National Highways No. 4 (New NH No. 69 from Chittoor to Karnataka Border and New NH No. 40 from Chittoor to Tamil Nadu Border), No. 5 {from Km. 0.000 to Km. 3.400 (Vijaywada-Vishakhapatnam section No. 9 {from Km. 265.000 to Km. 266.400 (new NH No. 65 Km. 270.340 to Km. 271.740) (H-V section )}, No.18 (New NH No. 40 from Cuddapah to Chittoor), No.18A (New NH No.140 from Puthalapattu to Tirupati excluding from Km. 41.70 to Km. 58.85), No. 43 (New NH No. 26 from Orissa Border to Natavalsa), <b>New NH-67 {excluding from Km. 589.00 to Km. 741.950} (Mydukur-Dornala T Junction—Atmakur-Nellore Section)}</b> , new NH No. 42 (from Karnataka/AP border to	State Government of Andhra Pradesh."

<p>Ananthapuramu), No. 205 (New NH No. 42 from Annantapur-Madanapalli and New NH No. 71 from Madanapalli-Renigunta), No. 214 (New NH No. 165 from Pamarru to Digamarru and New NH No. 216 from Digamarru to Kathipudi), No.214A (New NH No.216 from Digamarru to Ongole), No. 219 (New NH No. 42 from Madanapalli to Tamil Nadu Border), <b>No. 221 {excluding from Km. 32.735 to Km. 71.200 (Chandragundem-AP/Telangana border Section)}</b>, (New NH No. 30 from Chattisgarh/AP border to AP/Telangana border and from Telangana border to Vijaywada), No.234 (New NH No. 75 from Karanataka Border to Tamil Nadu Border), New NH No. 71 [from Renigunta to Nayudupeta (New NH-16)], New NH No. 167 (from Karnataka/AP boder to AP/Karnataka border), new NH No. 326 (from Odisha border to Chinturu), new NH No. 326A {from Odisha border to Narasannapet (on new NH No. 16)}, New NH No. 340 [from Rayachoti (New NH-40) to Kurabalakota (New NH-42)], new NH No. 340C (from Kurnool to Dornala on NH 765), new NH 516D, new NH No. 544D (from Anantapuramu on NH 44 via Tokapalli on new NH 565 to Guntur on NH 16), <b>New NH No. 565 {excluding from Km 86.057 to Km 133.922 and from km. 154.900 to Km. 361.327 (Nagarjunasagar --Dam-Davulapally-Markapuram-Vaggampalle—Dornala T Junction Section) and excluding from Km. 425.400 to Km. 509. 400 (Penchalakona-Yerpedu Section)}</b>, new NH 716, and New NH No. 765 [from Telangana Border to Tokapalli (New NH-565)] as are situated within the State of Andhra Pradesh.</p>	
---	--

[F.No.NH-14013/8/2016-P&amp;M]

MAYA PRAKASH, Director (P&amp;M)

**Note:** The principal notification was published vide number S.O.1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and was last amended vide number S.O. 28(E), dated the 5<sup>th</sup> January, 2017.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2017

**का.आ. 796(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार उक्त सारणी के कॉलम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड एतद्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

### सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	किमी में खंड
(1)	(2)	(3)
रारा-565	पेचलकोना - येरपेडू खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 425.400 से किमी 509.400
रारा-565	नागार्जुनसागर डैम - दाउलापल्ली खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 86.057 से किमी 133.922
रारा-565	दाउलापल्ली - मरकापुरम खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 154.900 से किमी 198.698
रारा-565	वग्गमपल्ली - दोरनाला टी-जंक्शन खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 294.000 से किमी 361.327
रारा-565	मरकापुरम से वग्गमपल्ली खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 198.694 से किमी 294.000
रारा-67	दोरनाला टी-जंक्शन - आत्माकुर खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 641.100 से किमी 695.000

रारा-67	आत्माकुर - नेल्लौर खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 695.00 से किमी 741.950
रारा-221	चंद्रागुंडेम - आ. प्र./तेलंगाना खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 32.735 से किमी 71.200
रारा-67	मायदुकुर- दोरनाला टी-जंक्शन खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	किमी 589.000 से किमी 641.000

[फा. सं. एनएच-14013/8/2016-पीएण्डएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएण्डबी)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2017

**S.O. 796(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

**TABLE**

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
NH-565	Penchalakona –Yerpedu Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km. 425.400 to Km 509.400
NH-565	Nagarjunasagar Dam-Davulapally Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km. 86.057 to Km ` 133.922
NH-565	Davulapalli to Markapuram Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km. 154.900 to Km 198.698
NH-565	Vaggampalle-Dornala T-Junction Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km. 294.000 to Km 361.327
NH-565	Markapuram to Vaggampalle Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km. 198.694 to Km 294.000
NH-67	Dornala T-Junction-Atmakur Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km. 641.100 to Km 695.000
NH-67	Atmakur-Nellore Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km. 695.00 to Km 741.950
NH-221	Chandragundem-AP/Telangana border Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km. 32.735 to Km 71.200
NH-67	Mydukur-Dornala T Junction Section (In the State of Andhra Pradesh)	Km. 589.000 to Km 641.000

[F. No. NH-14013/8/2016-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)